मान्य निर्यात फिरती योजना

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 वाणिज्य विभाग के कारोबार भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, विकास और प्रोन्नति शामिल है। इसे उपयुक्त व्यापार और वाणिज्य नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। निर्यात के वार्षिक लक्ष्य तय करना और निर्यात को बढ़ाने और आयातों को प्रतिस्थापित करने के लिए कार्यक्रम को लागू करने के लिए विदेश व्यापार नीति बनाने डीजीएफटी, जोकि का एक डीओसी संबद्ध कार्यालय है वह कर्ता है। एफटीपी का उद्देश्य सरल, पारदर्शी और ईडीआई संगत प्रक्रिया जोकि प्रशासक आसानी से लागू हो सके निर्धारित करके एफटी डी एण्ड आर अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करना है।

1.2 एफटीपी का प्रमुख उद्देश्य घटते निर्यातों को रोकना और इस प्रवृत्ति को परिवर्तित करना है। इसका उद्देश्य निर्यात योजनाओं का एक उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन को संभालना, हालांकि इसका संघ सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों के प्रति आयात पर लगाये गये अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी)[8] के विश्लेषण से पता चला कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां एफवाई 01 में ₹ 72,555 करोड़ से एफवाई 11 में ₹ 1,38,372 तक 8.20 प्रतिशत की दर से बढ़ गई हैं, तद्नुसार एफवाई 01 में ₹ 16,582 से एफवाई 11 में ₹ 51,065 करोड़ तक 18.9 प्रतिशत की दर से बढ़ गई है जैसा कि अनुबन्ध-ख में विवरण दिया गया है। सीवीडी के प्रति उत्पाद शुल्क के अनुपात का दस वर्षीय औसत एफवाई 04 में 16.51 प्रतिशत से एफवाई 09 में 44.68 प्रतिशत तक के बीच में 27 प्रतिशत बढ़ती प्रवृत्ति का रहा।

1.3 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 और 2009-14 में मान्य निर्यात (अध्याय 8) की योजना का प्रावधान है, जो घरेलू रूप से विनिर्मित माल का संदर्भ दिया गया है, जिसमें देशज विनिर्माता कुछ निर्धारित श्रेणी के प्राप्तकर्ताओं को माल की आपूर्ति करते हैं और उस श्रेणी की आपूर्त्तियों (जैसा कि अनुबन्ध "ग" में वर्णित है) के लिए घरेलू विनिर्माताओं द्वारा प्रदत्त करों की प्रतिपूर्ति की जाती है जिससे बराबर की भागीदारी का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बराबर की भागीदारी का क्षेत्र (आयातकों के प्रति घरेलू विनिर्माताओं को) उपलब्ध होता है

1.4 मान्य निर्यातक अनेक लाभों के हकदार हैं जैसे कि (क) मान्य निर्यात फिरती की वापसी (ख) टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) की वापसी या छूट (ग) एचबीएफ खण्ड-। के शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन अग्रिम प्राधिकार/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार, डीएफआई।

1.5 एफआरबीएम अपेक्षा करता है कि केन्द्र सरकार जनहित में अपने राजकोषिय परिचालन में अधिक पारदर्शिता लाने और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने और

---

[8] यदि भारत में कोई वस्तु उत्पादित या विनिर्मित होती उस पर कुछ समय के लिए लगने योग्य उत्पाद-शुल्क के बराबर शुल्क अतिरिक्त सीमाशुल्क है।

अनुदान के लिए मांग करने में गोपनीयता कम करना सुनिश्चित करने के लिए उपुयक्त उपाय करे। सरकार ने प्राप्ति बजट 2006-07 के बाद से केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत मुख्य कर व्यय का आंकलन दिखाना शुरू किया। संघ सरकार के प्राप्ति बजट में केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत छोड़ दिए गए राजस्व के विवरणों में फिरती छूट और मान्य निर्यात फिरती नहीं दर्शाया जाते हैं। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 तक चार वर्ष की अवधि के दौरान ये रियायते (ड्राबैक रियायते ₹ 33,430 करोड़, मान्य निर्यात फिरती ₹ 7,679 करोड़) छोड़ दिए गए राजस्व के विवरणों (अनुबंध ए, ए 1) में दर्शाए गए 2,25,284 करोड़ के कुल कर व्यय का कम से कम 18 प्रतिशत बनती है। निर्यात फिरती और फिरती घटकों सीमाशुल्क दोनों मिलकर सीमाशुल्क के अन्तर्गत तीसरा वृहतम कर व्यय बनते हैं।

1.6 मान्य निर्यात फिरती और फिरती के परिवर्तन का स्वरूप बहुत भिन्नता होते हुए भी समान रहा है। एफवाई 08 से एफवाई 11 की सभी निर्यात संवर्धन योजनाओं पर भी कुल छोडे गये शुल्क ने समान समग्र प्रवृत्ति दर्शाई।

संगठनात्मक ढ़ांचा

1.7 डीजीएफटी द्वारा अपने पैंतीस आरएज़ और आठ क्षेत्रीय डीसी-एसईजेड के माध्यम से योजना कार्यान्वित करते है जैसा नीचे दर्शाया गया हैः

चार्ट 1 डीओसी का संगठन

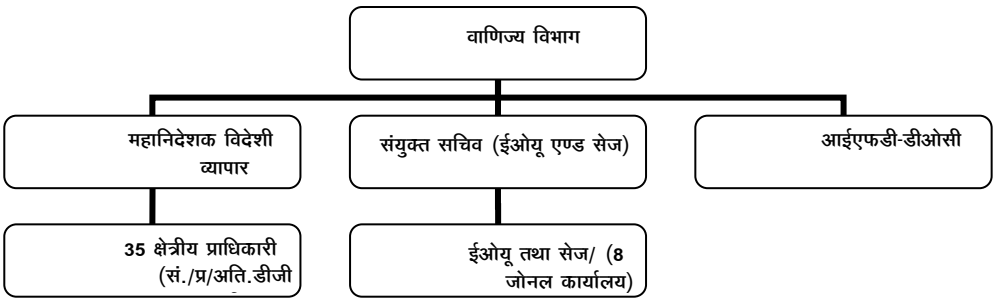

1.8 डीजीएफटी अपने क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरएज) से निधि की आवश्यकता की सूचना संग्रहीत और समेकित करता है। नीति ओर फिरती विंग आईएफडी, वाणिज्य विभाग को अनुमोदन के लिए मांग प्रस्तुत करता है। निधियों के अनुमोदन और आबंटन के बाद डीजीएफटी द्वारा संस्वीकृति जारी की जाती है। भुगतान एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) वाणिज्य एवं कपड़ा, विभिन्न आरएज़ के लिए सम्बंधित बैंकों में साख पत्र (एलसी) खोलने के लिए अधिकृत बैंक को संज्ञापन जारी करता है। तत्पश्चात लाभार्थियों के खाते में राशि स्थानातरंण करने के लिए लाभार्थियों की सूची के साथ बैंक को चैक जारी करते हैं। चैक जारी करने के बाद आरएज़ सम्बन्धित क्षेत्रीय पीएओ के साथ व्यय के आंकड़ों का मिलान करते हैं। इसी प्रकार वाणिज्य विभाग का एसईजैड-ईओयू विंग क्षेत्रीय एसईजैड से निधियों की आवश्यकता की जानकारी संग्रहीत एवं संकलित करता है और एएसएण्डएफए की सहमति से जेएस (ईओयू-एसईजैड से

अनुमोदन प्राप्त करता है। डीसी द्वारा किए गए व्यय का लेखा सीसीए/सम्बन्धित पीएओ रखता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.9 मान्य निर्यात फिरती योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित पर आश्वासन प्राप्त करना हैः

क. योजना के प्रबन्धन के लिए आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथ आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता।

ख. ड्राबैक के किसी अनियमित भुगतान या राजस्व हानि के प्रति रक्षा के लिए वर्तमान प्रावधान का अनुपालन ;

ग. ब्रांड दरों का निर्धारण

घ. मान्य निर्यात मामलों का समय पर निपटान

ङ. नीति विवेचना समिति के स्पष्टीकरण का अनुपालन और योजना के परिणाम का आंकलन

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कवरेज

1.10 हमने ड्राबैक और टीईडी की वापसी का दावा करने के लिए एफटीपी (2004-09 ओर 2009-14) में निर्धारित पात्रता, मापदण्ड और प्रक्रिया और मंत्रालय के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र और क्षेत्रीय संरचनाओं के योजना को डीओसी की अपनी आरएफडी, रणनीति परिणाम रिर्पोटिंग की जांच की। मार्च 2012 से जून 2012 के दौरान समग्र देश में स्थित डीओसी (ईओयू और एसईजैड और डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों में 2007-08 से 2010-11 के बीच ड्राबैक और टीईडी के मामलों की लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

1.11 लेखापरीक्षा की व्यवस्था सीएजी के लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबन्धन ढांचा, 2009 के अनुसार की गई जिसमें पेशेवर लेखापरीक्षा मानक 2वां संस्करण, 2002 और निष्पादन लेखापरीक्षा मार्गनिर्देश 2004 उपयोग किये गये।

लेखापरीक्षा नमूना

1.12 लेखापरीक्षा ने मार्च 2012 से जून 2012 के दौरान डीजीएफटी के 35 आरए और आठ एसईजैड और जेएस (ईओयू एण्ड एसईजैड) में से मान्य फिरती की वापसी और टीईडी मामले 25 आरए[9] और सात डीसी-एसईजैड[10] में नमूना संख्या के आधार पर संवीक्षा की। इन 25 आरए में 2007-08 से 2010-11 के दौरान 18,843 मामले जिसमें ₹ 5,941 करोड़ अन्तर्ग्रस्त थे, डीबीके की वापसी और टीईडी किये गये थे, जिसमें से 3,725 मामले (20 प्रतिशत) की संवीक्षा की गई। इसी प्रकार सात एसईजैड 5,151 मामले जिसमें ₹ 640 करोड़ की वापसी शामिल थी। उनमें से 984 मामले 18 प्रतिशत)

---

[9] अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलूरू, चन्डीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर कटक, गान्धीधाम, हैदाबाद, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लुधियाना, मदुरै, मुरादाबाद, मुम्बई, नई दिल्ली, पुदूचेरी, पुणे, राजकोट, सूरत, वाराणसी, वडोदरा ओर विशाखापट्टनम

[10] कोचीन, चेन्नई, गांधीधाम, मुम्बई, नोयडा, कोलकाता, विशाखापटनम

लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चुने गये थे। डीजीएफटी की फील्ड संरचनाओं और जेएस (ईओयू) में स्तरीकृत यादृच्छिक स्तर का प्रयोग करके लेनदेनों की मात्रा के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए नमूने चुने जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 1 : स्तरीकृत नमूना

श्रेणी	**लेखापरीक्षा के लिए चयनित मामले**
₹ दो करोड़ और अधिक के दावे	**100 प्रतिशत**
₹ 50 लाख और ₹ 2 करोड़ बीच के दावे	**50 प्रतिशत**
₹ 50 लाख से कम के दावे	**20 प्रतिशत**